



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264420
CG-DL-E-05072025-264420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]
No. 479]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025/आषाढ़ 13, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025/ASHADHA 13, 1947

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

फा. सं. सीडीएन-19012/2/2025-समन्वय-एनएमसी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 24 की उपधारा (1) की उपधारा (घ) के साथ पठित धारा 26, 28 और 29, 10(1)(घ) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा 2 की उपधारा (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा, "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के विनियम 10 के तहत दिशानिर्देश", नए चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, मौजूदा पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि एवं मूल्यांकन और रेटिंग विनियमन, 2023 संक्षेप में (यूजी-एमएसआर 2023) तथा "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" के विनियम 19 के अंतर्गत जिसे भारत के असाधारण राजपत्र भाग- III खंड 4 में अधिसूचना संख्या विज्ञापन-III/एक्स्टी/360/2023-24 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

अनुसूची II - कर्मचारियों की आवश्यकता

क. सामान्य टिप्पणी

"4. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या के 15% तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपर्युक्त गैर-चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग में सांख्यिकीविद् के पास शिक्षक पात्रता योग्यता विनियमों में आवश्यकताओं के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या के 30% तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपर्युक्त गैर-चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग में सांख्यिकीविद् के पास चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियमों में आवश्यकताओं के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए।"

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./212/2025-26]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

F. No. CDN-19012/2/2025-Coordination-NMC - In exercise of the powers conferred by subsection (d) of subsection (1) of Section 24 read with Sections 26, 28 and 29, 10(1)(d) read with sub-section (r) of sub-section 2 of Section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (Act No. 30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following amendment in the "Guidelines under Regulation 10 of the Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulation 2023 in short (UG-MSR 2023)" and Regulation 19 of the Graduate Medical Education Regulations 2023 notified in Extraordinary Gazette of India Part-III Section 4 vide ADVT-III/Exty/360/2023-24 dated 16.08.2023:-

SCHEDULE II- STAFF REQUIREMENT

A. General Remarks

"4. In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, non-medical teachers may be appointed to the extent of 15% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognised University as per requirements in Teacher Eligibility Qualification Regulations.

Shall be substituted with the following:

"4. In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to the non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognised University as per requirements in Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations."

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./212/2025-26]